14.08 hrs.

(Shri P.H. Pandian in the Chair)

Title: Need to include `Angika' language in the Eighth Schedule of the Constitution.

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, " अंगिका " भाषा बिहार राज्य के भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, पूर्णिया, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय और कटिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की मातृभाषा है। लगभग 3 करोड़ की आबादी में अंगिका भाषा का आम बोल-चाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। यह भाषा अति प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है जिसका अपना सर्वनाम है। गीत काव्य इस भाषा की मूल पहचान है। इसकी चार मुख्य उप-भाषा हैं- 1.चम्पानगरी, 2.मुंगरिया, 3.धर्मपुरिया एवं 4.खोहा। इस भाषा की बोलचाल लगभग 58 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अति प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने इस भाषा की पढ़ाई हेतु एक पृथक विभाग खोल दिया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि " अंगिका " भाषा के समुचित विकास के लिए इसे संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित किया जाए।